International Journal of Applied Research 2017; 3(6): 1123-1125

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(6): 1123-1125
www.allresearchjournal.com
Received: 27-04-2017
Accepted: 30-05-2017

डॉ0 शेफालिका राय
असिस्टेंट प्रोफेसर, एस.एस.एस.वी. एस. राजकीय स्ना0 महाविद्यालय, चुनार मीरजापुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

Correspondence
डॉ0 शेफालिका राय
असिस्टेंट प्रोफेसर, एस.एस.एस.वी. एस. राजकीय स्ना0 महाविद्यालय चुनार मीरजापुर, उत्तर प्रदेश, भारत।

नीति आयोग

डॉ0 शेफालिका राय

प्रथम नीति आयोग 5 जनवरी, 2015
अध्यक्ष : नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)
उपाध्यक्ष : अरविंद पनगढ़िया (अर्थशास्त्री)

पूर्ण कालिक सदस्यः
1. राजनाथ सिंह
2. अरूण जेटली
3. सुरेश प्रभु
4. राधा मोहन सिंह

विशिष्ट आमंत्रित मेहमान सदस्यः
1. नितिन गडकरी
2. थावर चन्द गहलौत
3. स्मृति जुबिन ईरानी

मुख्य कार्यकारी अधिकारीः
1. सिन्धुश्री खुल्लर

नीति आयोग का संगठनः
- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
- 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमण्डल का प्रस्ताव जारी किया गया।
- यह संस्थान सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।
- नीति आयोग केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्त्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा।
- इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नये नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे।
- नीति आयोग को राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हित धारकों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया।

योजना आयोग की आलोचनाः
- योजना आयोग व्यवहार में योजनाओं के निर्माण में राज्यों द्वारा प्रस्तुत मांगों को महत्व प्रदान नहीं करता।
- सभी राज्यों के लिए एक जैसी योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जबकि राज्यों की समस्याएं पृथक–पृथक होती है।
- राष्ट्रीय विकास परिषद् में राज्य केवल अधिक धन की मांग करते हैं।

- राज्यों को धन आवंटन एवं वितरण में योजना आयोग निष्पक्ष नहीं होता।
- आर्थिक नियोजन प्रक्रिया में निम्नतम् स्तर की समस्याओं को स्थान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि योजनाओं में सामान्य समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है।
- अत्यधिक केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता में कमी आ जाती है।

नीति आयोग व योजना आयोग में अन्तर

पैमाने	नीति आयोग	योजना आयोग
वित्तीय शक्ति पूर्ण–कालिक सदस्य राज्य की भूमिका सदस्य सचिव अंश कालिक सदस्य	एक सलाहकार निकाय है कोषों को आंवटित करने की शक्ति वित्त मंत्रालय में निहित हो सकती है। योजना आयोग की तुलना में पूर्ण कालिक सदस्यों की संख्या कम हो सकती है। राज्य सरकारों से योजना आयोग की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद। सी ई ओ के रूप में जाने जायेंगे और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे। कई अंश कालिक सदस्य होगें। यह समय–समय पर आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होगा।	मंत्रालयों और राज्य सरकारों को कोषों के आवंटन की शक्ति थी। अंतिम आयोग में आठ पूर्ण कालिक सदस्य थे। राज्यों की भूमिका वार्षिक बैठकों तक सीमित थी। सचिव या सदस्य सचिव सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए जाते थे। योजना आयोग में अंशकालिक सदस्यों का कोई प्रावधान नहीं था।

योजना आयोग एवं नीति आयोगः संरचना

योजना आयोग	नीति आयोग
अध्यक्ष – प्रधानमंत्री **उपाध्यक्ष –** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त **पदेन सदस्य –** केन्द्र सरकार के मंत्री **सदस्य –** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (पूर्णकालिक) **सदस्य सचिव –** राष्ट्रीय विकास परिषद–राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य	**अध्यक्ष –** प्रधानमंत्री **उपाध्यक्ष –** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त **पदेन सदस्य** – केन्द्र सरकार के मंत्री **सदस्य** – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (पूर्णकालिक) **विशिष्ट आमंत्रित सदस्य** – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त **मुख्य कार्यकारी अधिकारी–** **गवर्निंग काउंसिल** – राज्यों के मुख्यमंत्री व संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल सदस्य। **रीजनल गवर्निंग काउंसिल –** (क्षेत्रों में समय–समय पर नियुक्त) – संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल समय समय पर विषय विशेषज्ञों, शोध संस्थानों से परामर्श।

नीति आयोग के आने से सम्भावित परिवर्तन

- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नियोजन की विचारधारा के युग का अन्त।
- पूँजीवाद एवं खुली अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन प्रारम्भ।
- नियोजन में सहकारी संघवाद का प्रारम्भ।
- राज्यों के साथ–साथ केन्द्रशासित प्रदेशों की नियोजन में सहभागिता।
- उद्योगपति, विषय विशेषज्ञों एवं देश–विदेश के मर्मज्ञ विद्वानों की वैचारिक सहभागिता।
- जनता एवं राज्यों की आवश्यकतानुसार नियोजन।
- राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा एवं उर्जा सुरक्षा के लिए नियोजन में प्राथमिकता।
- राष्ट्रीय योजना निर्माण में राष्ट्रीय एजेंडा के साथ–साथ राज्यों के एंजेंडा को यथोचित महत्व।

नीति आयोग के उदेश्य

- राष्ट्रीय उदेश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना है।
- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा।
- आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए है उनकी आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।
- हमारे समाज के उन वर्गो पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभंवित ना हो पाने का जोखिम होगा।
- रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करेगा। साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएगें।
- महत्वपूर्ण हितधारको तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय थिंक टैंक।

नीति आयोग के निर्धारित कार्यः

- नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुँचायेगा।
- आयोग राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हित धारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा।

- इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया।
- संस्थान के तहत व्यवस्था में केन्द्र राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्त्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत् भागीदारी से बदल दिया जाएगा।
- त्वरित गति से कार्य करने के लिए और सरकार को नीति दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के साथ–साथ प्रासंगिक विषयों के सन्दर्भ में आयोग के पास आवश्यक संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमता होगी।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बिन्दु यह है कि देश के विकास के लिए अपनी नीति स्वयं निर्धारित करनी होगी।
- नीति आयोग ने उत्तरदायित्वों को देखते हुए यह निश्चित किया है कि आयोग में एक तरफ लोगों की संख्या कम करने की आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ ऐसे नये लोगों की आवश्यकता भी है जो अधिक कुशल हो। इसके मद्देनजर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को दूसरे विभागों में स्थानांतरित किया गया और बाहर से भी कर्मियों को लाया गया। जो युवा पेशेवर तथा विशेष कार्याधिकारी है।
- इन कर्मियों को दो बड़े हब में बांटा गया है :–
- 1– ज्ञान और नव प्रवर्तन हब 2– टीम इंडिया हब
- नीति आयोग दो कार्यदलों का गठन –
- 1– गरीबी उपशमन हेतु 2– कृषि विकास हेतु

सहकारी संघवाद की स्थापना

सहकारी संघवाद या सहयोगमूलक संघवाद का अभिप्राय ऐसी संघात्मक व्यवस्था से है जिसमें संघ की इकाई (राज्य) परस्पर सहयोग के साथ अपनी सत्ता का प्रयोग करती है।

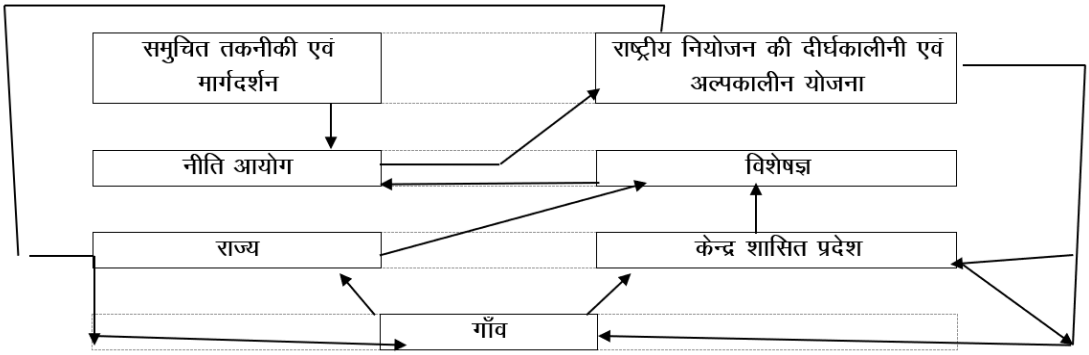

नीति आयोग एवं उच्च शिक्षा

नीति आयोग ने अपने तीन वर्ष के एक्शन एजेंडा 2017–18 से 2019–20 को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि –

- सरकार को 20 विश्वस्तर के विश्वविद्यालय बनाना चाहिए।
- देश के जो उच्च स्तर के महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं उन्हें स्वायत्तता देनी चाहिए।
- नियामक प्रणाली को बदलना चाहिए।
- प्रोजेक्ट एवं अनुसंधान के लिए अलग से विशिष्ट अनुदान देना चाहिए।
- व्यवसायिक शिक्षा पद्धति पर विशेष ध्यान।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर विशेष बल।
- उच्च शिक्षा को सुधारने की सरकारी नीति को केन्द्रित करना चाहिए।
- यूजीसी एक्ट 1956 को सुधार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. niti.gov.in
2. economictimes, india times. com
3. www. narendramodi. in
4. www. deepawali.co.in
5. योजना अक्टूबर 2015